

35



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

करमा स्वाक्षी

बनाम

करमा महि वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....26...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी व.म.ड. के अप्राथमिकी सं०-10/18 दिनांक-02-03-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता न०-13 प्लॉट 500 रकवा 60510 घट बारी जमीन के चलते उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभय/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p>	
	<p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	<p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>
06/04/18	<p>नीगसीन पदाधिकारी नगर प्रेक्षापन बुकस अपि के वरुण। दिनांक 27-04-18 को रखे।</p>	

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

26-10-18

आमिनिरण उपस्थापित। प्रथम पत्र
 उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 02
 उपस्थित क्रमांक 03 अधिवक्ता लक्ष्मी।
 प्रथम पत्र गवाह करमा ख-वाही से
 परिणत एवं प्रतिपरिणत लिया गया तथा
 गवाही से मुक्त किया गया। उक्त वाद
 के प्रथम पत्र की ओर से न्यायालय के
 आवेदन देकर निवेदन किया गया कि वाद
 की कार्यवाही को ठीक करने के लिए वाद
 के उभार का अवधि विस्तार किया जाए।
 प्रथम पत्र के आवेदन को अस्वीकृत
 किया जाता है। दिनांक 16-11-18 को
 शर्त।


 26/10/18

16-11-18

आमिनिरण उपस्थापित। प्रथम पत्र
 उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 02
 उपस्थित क्रमांक 03 अनुपस्थित।

(7)

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद काल
बाधित हो गया है अतः वाद में
कार्रवाई की कारवाही बन्द की जाती है


16/11/18